

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- नर्सिंग/फार्मासिस्ट/बी-33/2018/

दिनांक:

—:आदेश:—

श्रीमती बिन्दु यादव, फार्मासिस्ट (परिवीक्षाधीन), प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, भामोलाव अजमेर का निम्न अवधि का असाधारण अवकाश इस शर्त के साथ स्वीकृत किया जाता है कि इस आदेश का इन्द्राज कार्मिक की सेवा पुस्तिका में किया जावेगा :-

1.	दिनांक 28.09.2017 से 12.10.2017 तक	—	15 दिवस
2.	दिनांक 09.11.2017 से 10.11.2017 तक	—	02 दिवस
3.	दिनांक 02.12.2017 से 14.12.2017 तक	—	13 दिवस
4.	दिनांक 17.12.2017 से 22.12.2017 तक	—	06 दिवस
5.	दिनांक 28.12.2017 से 20.01.2018 तक	—	24 दिवस
कुल अवधि		—	60 दिवस

वित्त विभाग के मेमोरेण्डम क्रमांक F.1(2)FD/Rules/06 Part-1 दिनांक 11.06.2014 की पालना में कार्मिक के 30 दिवस से अधिक अवधि को परिवीक्षाकाल में वृद्धि की जायेगी।

-sd-
(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- नर्सिंग/फार्मासिस्ट/बी-33/2018/203

दिनांक: 05/06/18

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर को उनके पत्र क्रमांक 1448 दिनांक 26.02.2018 के क्रम में प्रेषित है।
2. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, भामोलाव अजमेर।
3. सम्बन्धित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
4. आदेश/निजी पत्रावली।

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर